UPMB010017862017

न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1), महोबा।

सिविल अपील संख्या–56 / 2017

मु0 अफाक आदि बनाम अब्दुल जलील आदि

————————————————————————————————————

15.07.2022

पत्रावली प्रस्तुत हुई। उभय पक्ष उपस्थित। अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 60क व 64ग पर उभय पक्षों को सुना गया।

प्रार्थना पत्र 60क अपीलार्थी पक्ष की ओर से उत्तरार्थी संख्या–1 अब्दुल जलील के वारिसानों को प्रतिस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है तथा प्रार्थना पत्र 64ग इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मूल अपील के उत्तरार्थी संख्या–1 अब्दुल जलील की मृत्यु दिनांक–28.07.2020 को हो गयी है जिसकी जानकारी उत्तरार्थी पक्ष को नहीं हो सकी जिसके कारण समय से प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अभी तक कोई भी अबेटमेन्ट की कार्यवाही नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में यदि अपील अबैट मानी जाती है तो अबैटमेन्ट निरस्त किया जाये।

प्रार्थना पत्र 60क व 64ग के कथनों के समर्थन में अपीलार्थी पक्ष की ओर से मु0 मिनहाज के शपथ पत्र क्रमशः 61ग व 65ग प्रस्तुत किये गये हैं।

उत्तरार्थी पक्ष की ओर से अपीलार्थी पक्ष के प्रार्थना पत्र 60क व 64ग पर आपत्ति क्रमशः 68ग व 70ग प्रस्तुत की गयी हैं। अपनी आपत्तियों में अब्दुल जलील की मृत्यु दिनांक–28.07.2020 को हो जाने के सम्बन्ध में तथा प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में कथन किये गये हैं तथा अब्दुल जलील के सभी वारिसानों को वारिसान प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र में सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में कथन किये गये हैं।

न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया तथा पत्रावली तथा विधि के प्राविधानों का सम्यक् रूपेण परिशीलन किया गया।

विधि के प्राविधान के अनुसार वारिसान कायमी व अबैटमेन्ट के सम्बन्ध में परिसीमा अवधि का निर्धारण किया गया है। वारिसान प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र पक्षकारों की मृत्यु के 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है, परन्तु अपीलार्थी पक्ष की ओर से वारिसान कायमी के सम्बन्ध में तथा अबैटमेन्ट निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में विलम्ब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये, परन्तु न्यायालय द्वारा दिनांक–13.05.2022 को अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 62ग अन्तर्गत धारा–5 परिसीमा अधिनियम

का निस्तारण करते हुए निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि कोई भी पक्ष बिना किसी अपनी स्वयं की त्रुटि के प्रक्रियात्मक जटिलताओं के कारण सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांकित–13.05.2022 में यह भी निष्कर्ष व्यक्त किया गया है कि पक्षकारों का विधिक पथ अवरूद्ध करते हुए उसे सारभूत न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रतिस्थापना प्रार्थना पत्र किस कारण से विलम्ब से प्रस्तुत हुए हैं, इसके सम्बन्ध में भी न्यायालय द्वारा विचार करते हुए अपने पूर्व आदेश दिनांकित–13.05.2022 पारित किया गया है।

आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 के प्राविधान के अनुसार–

जहां दो या अधिक प्रतिवादियों में से एक की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादी के या अकेले उत्तरजीवी प्रतिवादियों के विरूद्ध बचा नहीं रहता है या एकमात्र प्रतिवादी या एकमात्र उत्तरजीवी प्रतिवादी की मृत्यु हो जाती है और वाद लाने का अधिकार बचा रहता है वहां उस निमित किए गए आवेदन पर न्यायालय मृत प्रतिवादी के विधिक प्रतिनिधि को पक्षकार बनवाएगा और वाद में अग्रसर होगा।

उक्त विधिक प्राविधान तथा न्यायालय द्वारा अपने पूर्व आदेश दिनांकित–13.05.2022 में व्यक्त निष्कर्षानुसार न्यायालय का मत है कि अपील के न्यायसंगत विनिश्चय के दृष्टिकोण से उत्तरार्थी संख्या–1 अब्दुल जलील के वारिसानों को प्रतिस्थापित किये जाने के उचित व न्यायसंगत आधार प्रतीत होते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 60क व 64ग स्वीकार होने योग्य है, जो असुविधा उत्तरार्थी पक्ष को हुई है, उसकी क्षतिपूर्ति आर्थिक रूप से हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र 60क व 64ग हर्जाने के साथ स्वीकार होने योग्य हैं।

<u>आदेश</u>

अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 60क व 64ग निष्कर्षानुसार 1000 / रूपये हर्जे पर स्वीकृत किया जाता है। तद्नुसार उत्तरार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत आपत्ति 68ग व 70ग निस्तारित की जाती हैं।

अपीलार्थी पक्ष 14 दिन की अवधि के अन्दर उत्तरार्थी पक्ष को हर्जा अदायगी सुनिश्चित करे तथा उत्तरार्थी संख्या–1 अब्दुल जलील के वारिसानों के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 60क में दर्शितानुसार संशोधन करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश / बहस दिनांक–18.08.2022 को प्रस्तुत हो।

दिनांक–15.07.2022

(राजीव कुमार पालीवाल)
न्यायालय अपर जिला जज, (कोर्ट नं0–1)
महोबा,
J.O No.U.P-6305

Digitally signed by Rajeev Kumar Paliwal
Date: 2022.07.15 15:28:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court